कुढ़नी – 397/21

जी0 आर0 :– 1789/21

25.09.21 दिनांक 07.06.21 से काराधीन आवेदक अभियुक्त मो0 तबरेज आलम की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, जिसकी प्रति अभियोजन पक्ष को दी गयी। आवेदन को परिचालित किया गया।

सुना। जमानत के बिन्दु पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक अभिुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे झुठा केस में फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 07.06.21 से न्यायिक अभिरक्षा में है। ऐसी दशा में आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाये।

अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त कुढ़नी थाना कांड संख्या 397/21 अन्तर्गत धारा 414/34 भा0 द0 वि0 एवं 25(1–बी) ए, 26, 35 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत नामित है। आवेदक अभियुक्त के उपर अवैध रूप से बिना कागजात के अवैध अग्नेयास्त्र एवं गोली तथा बिना कागजात के मोटरसाइकिल रखने का आरोप है। आवेदक अभियुक्त को पुलिस द्वारा वाहन जांच के कम में एक अन्य अभियुक्त के साथ अवैध अग्नेयास्त्र एवं जिन्दा कारतुस तथा बिना कागजात के मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया है। तलासी के दौरान आवेदक अभियुक्त के पास से लोडेड देशी कट्टा बरामद किया गया है। जिसकी पुष्टि पुलिस द्वारा बनायी गयी जप्ती सूची से स्पष्ट होती है। जप्ती सूची पर आवेदक अभियुक्त का हस्ताक्षर भी है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त घटना सत्य पाते हुए उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है। ऐसी दशा में आवेदक अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति का गैर जमानतीय अपराध है। अतः अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का कोई आधार नहीं पाता हूँ, तदनुसार आवेदक अभियुक्त मो0 तबरेज आलम का जमानत आवेदन
अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

ह0/–

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम,

मुजफ्फरपुर, (पश्चिमी)।